जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 02.12.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1496 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1496 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत छपिया से इवेंट सं0 **43625** द्वारा कालर ने दो मोटरसाइकिलों का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना मे घायल 03 लोगो (1. संतोष पुत्र बालकिशन ग्राम कंचनपुर थाना दुधारा 2. सोनू पुत्र रामचरित्र ग्राम प्रसादपुर थाना दुधारा 3. अजय पुत्र रंगीलाल ग्राम मुराडीहा कला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल लोगो को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल लोगों को ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 संतो, कुमार शुक्ला, आ0 अजीजुल्लाह खाँ, हो0चा0 शिवकुमार गौंड।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 100 वाहनों से 1,15,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 100 वाहनों से 1,15,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सरकारी धन के गबन के मामले में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 409/2024 धारा 409 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त अम्बुज कुमार सिंह पुत्र अतुल कुमार सिंह निवासी दुर्गापुरी कालोनी संतीन पुरवा विसवां थाना विसवां जनपद सीतापुर को आज दिनांक 02.12.2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. अम्बुज कुमार सिंह पुत्र अतुल कुमार सिंह निवासी दुर्गापुरी कालोनी संतीन पुरवा विसवां थाना विसवां जनपद सीतापुर ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम

उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव ।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामलें में अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास व 70,000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 02.12.2024 को ***मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 द्वितीय जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1175/2011 धारा 363, 366, 376 भादवि के मामलें में आदेश पारित किया गया कि अभियुक्त नाम पता संतोष कुमार गुप्ता पुत्र रामनाथ गुप्ता निवासी मोहल्ला काजीपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को सत्र परीक्षण संख्या 120/2015, मु0अ0सं0 1175/2011 थाना कोतवाली खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर के प्रकरण में धारा 363, 366, 376 भादवि के आरोपो से दोषसिद्ध किया जाता है । अभियुक्त जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिन्दारों को उनके दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है । अभियुक्त संतोष कुमार गुप्ता को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये । सिद्धदोष संतोष कुमार गुप्ता को सत्र परीक्षण संख्या 120/2015, मु0अ0सं0 1175/2011 थाना कोतवाली खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर के प्रकरण में अन्तर्गत धारा 363 भादवि 02 वर्ष के कारावास एवं रु0 15000 के अर्थदण्ड से, अन्तर्गत धारा 366 भादवि 03 वर्ष के कारावास एवं रु0 25000 के अर्थदण्ड से तथा अन्तर्गत धारा 376 भादवि 07 वर्ष के कारावास एवं रु0 30000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । समस्त सजाएं साथ साथ चलेंगी, अर्थदण्ड अदा न किये जाने की स्थिति में 02 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा । अदा किये गये अर्थदण्ड की आधी धनराशि अन्तर्गत धारा 357 सीआरपीसी पीड़िता को बतौर प्रतिकर अदा की जायेगी । प्रस्तुत प्रकरण में सिद्धदोष द्वारा पूर्व में कारावास में बितायी गयी अवधि को दण्ड के साथ समायोजित किया जाये । सिद्धदोष संतोष कुमार गुप्ता को अधिपत्र तैयार कर दण्ड भुगतने हेतु जिला कारागार संतकबीरनगर प्रेषित किया जाये ।